

[illegible]

हिस्टोरियामें कृषक को प्राथमिकी स्कूल में फलों से वातपीयत करी वीडियो • जयपुर

कि हलहानी के गफूर बस्ती में
रेलवे की भूमि, गौलापार
गोजानाली स्थित कन विभाग व
राजस्थ की भूमि को भू-
माफियाओं की ओर से सौं अंश
पांच सौ के स्टांप पर बेच दिया
गया है, जिन लोगों को वह भूमि
बेची गई, वह लोग उत्तराखंड के
स्थायी निवासी नहीं हैं।

रोजगार के लिए आने के बाद इन लोगों ने सीएससी सेंटर के माध्यम से आईडी तक बन गए। जब इसकी शिकायत प्रशासन, मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई तो याचिकाकर्ता को जान माल का घमस्की तक दी गई। दलसखंड के

स्थायी निवासी नहीं होने के बाद भी सरकार इन लोगों पर लाइट, पानी, स्कूल व स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ों खर्च कर रही है, जिसका भार स्थायी निवासियों पर पड़ रहा है। स्थायी निवासियों को सरकार की योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। जनहित वाचक में मामले की टिप्पस्त्रीय कमेंटों से जांच की मांग की गई है।

ncrtc राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि.
(मासिक सारकाल एवं प्रतिमासिक राज्य सरकारों का एक संयुक्त उपक्रम)

ई-निविदा सूचना

निविदा सं: डीई/डीई/डिजेनवा-बोएल/2020 निविदा क्र. 2228 सूचिकांक. 22000

विद्युत-घासोट-कण्डला गन्ने खासा कॉलोनी के लिए फलान कंस्ट्रैट को निष्पुष्ट हेतु बागला

निविदाई अगतिता की जाती है।

सिद्ध फलाना एवं अनुसूचित निविदा/प्रतिनिधि के अर्थ में के लिए फलान सूचिकांक. 22000 के अर्थ में

वेबसाइट www.mca.gov.in पर www.mca.gov.in को 14.05.2020 से 18.05.2020 (सोमवार) तक है।

854/- ई. 20/20

संलग्न वसुधाल प्रसिद्धी
न्यायालय श्रीमान सावित्रिक
न्यायालय (कुं म०) इल्लानी
मैनीताल
वा. सं. १० सं. १०२५

[illegible]

पत्रांक- जन औषधि/विज्ञप्ति/2026-27/ दिनांक- 13.05.2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर में विभिन्न विविधता ईकाइयों ए

1. सभी ईयूकू डीओ फार्मा/बीओफार्मा की योग्यता धारक कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति/संस्था जो खाद्य संस्था एवं औद्योगिक प्रशासन उत्तराखण्ड से औषधि अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु योग्य फार्मासियर नियुक्त करती है, तथा सभी ईयूकू एवं एच सखी संगठन(NGO), वैरिटेस संस्थान दूर, सोलायदी, स्वयं सहायता समूह जो जोन औषधि केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया रखते हैं, आवेदन कर सकते हैं।
2. सभी ईयूकू डीओ फार्मा/बीओफार्मा की योग्यता धारक कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति/संस्था जो खाद्य संस्था एवं औद्योगिक प्रशासन उत्तराखण्ड से औषधि अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु योग्य फार्मासियर नियुक्त करती है, तथा सभी एच सखी संगठन(NGO), वैरिटेस संस्थान दूर, सोलायदी, स्वयं सहायता समूह (PMBA) की जांचिकरिया वेबसाइट www.jansaukhadhi.gov.in/login-to-kendra पर आवेदन कर सकते हैं तथा अनुमोदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में तथा प्रार्थना पत्र पंजीकृत दफा द्वारा अन्वया स्वयं उत्तरिस्था होकर दिनांक - 29.05.2026 की तारीख 5:00 बजे तक मुख्य अधिकारी अधिकारी कार्यालय बागेश्वर में प्रेषित कर सकते हैं।
3. आवेदन को स्वीकार एवं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार समिति के पास रहेगा। समिति का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
4. आवेदन प्राप्त तथा स्वयं उत्तरिस्था PMBA की जांचिकरिया वेबसाइट www.jansaukhadhi.gov.in/login-to-kendra से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बागेश्वर

<https://localepaper.dainikjagran.com/epaperimages/14052026/haldwani/M-13nnt-pg11-0.png> 1/1